12/01/26

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुयी। वकील फरीकैन वादी उपस्थित। जारी के नकल की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी/प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर आ० कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा से [illegible] बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न० :– 65 / 2025
दायर दिनांक :– 13.10.2025
निर्णय दिनांक :– 12.01.2026

उनवान

1. अभय सिंह पुत्र लीलाराम जाति अहीर निवासी गुगडिया तहसील बहरोड़।
2. विजय कुमार पुत्र लीलाराम जाति अहीर निवासी गुगडिया तहसील बहरोड़।
3. सत्यवीर पुत्र भूपसिंह जाति अहीर निवासी गुगडिया तहसील बहरोड़। ...प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, एल.आर.एक्ट बाबत करवाये जाने पत्थरगढी

उपस्थित :–

1. श्री अनिल कुमार एण्ड दिनेश कुमार यादव अधिवक्ता प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरार नम्बर 203 रकबा 60 ऐयर,208 रकबा 67 एयर वाके ग्राम बसई तहसील बहरोड़ की प्रार्थीगणो द्वारा सम्पूर्ण आराजी की दिनांक 09.10.2025 को रजस्व टीम मौके पर पहुँचकर मुतकीली बिन्दू कायम कर प्रार्थीगण को सीमाज्ञान करवाया गया है जिसकी सत्यप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कि गई है। जिसके सन्दर्भ में श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 09.10.2025 के मुताबिक प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर हाल 203 रकबा 60 ऐयर ,208 रकबा 67 एयर वाके ग्राम बसई पर पत्थरगढी अप्रार्थी से करवाये जाने के अज्ञा सादिर फरमाई जावें आपकी ति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। न्यायालय जारी नोटिस की पालना में अप्रार्थीगण पैरोकार सरकार द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र को स्वयं सिद्ध करे एवं न्यायालय क्षेत्राधिकार से संबधित है।

हमने प्रार्थीगण के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रार्थीगण के वकील की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत 2075—2078 के खाता संख्या 09 में आराजी ख0न0 208 रकबा 67 एयर, 203 रकबा 60 एयर वाके ग्राम बसई तहसील बहरोड में प्रार्थीगण अपने—अपने हिस्से अनुसार आराजी के खातेदार दर्ज है। प्रार्थी मुताबिक रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 09.10.2025 उक्त खसरा नम्बर की पैमाईश करवाई गई है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिस पर अन्य अप्रार्थी की आपत्ति पत्रावली में प्राप्त नही है। जिस सूरत में पत्थरगढी करवाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बहरोड को आदेश दिये जाते है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 203 रकबा 60 ऐयर ,208 रकबा 67 एयर वाके ग्राम बसई तहसील बहरोड के आराजी की पैमाईश करे एवं आराजी के आस पास के खातेदारो की उपस्थिति में बाद पैमाईश व पत्थरगढी करे। पालना से अवगत करावे। अहकाम बनाम तहसीलदार बहरोड़ जारी की जावे।

आज दिनांक 12.01.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (कोटपूतली—बहरोड़)

(रामकिशोर मीना—II)

उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली—बहरोड़)

(आर.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी

बहरोड़ (कोटपूतली—बहरोड